

कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़, (छ.ग.)

क्र. 1077 / स्वा.वि / न.पा.नि. / 2021,

रायगढ़ दिनांक 31.07.2021.

—:: रुचि की अभिव्यक्ति ::—

नगर पालिक निगम रायगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शहर के आवारा कुत्तों को पकड़कर उनका बध्याकरण एवं एंटी रेबीज टीकाकरण कार्य कराये जाने हेतु छत्तीसगढ़ शासन, द्वारा पशु चिकित्सा कार्य एवं संरक्षण गतिविधियों हेतु पंजीकृत एन.जी.ओ. (गैर सरकारी संगठनों) से मुहर बंद लिफाफा में रुचि की अभिव्यक्ति, दिनांक 25.08.2021.. तक प्रस्ताव आमंत्रित की जाती है। दिनांक 26.08.2021 को प्रातः 11.00 बजे खोली जावेगी।

प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ पृथक लिफाफा में वैध पंजीयन प्रमाण पत्र के साथ रूपये 25000/- का TDR एवं वैध पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

इससे संबंधित अन्य शर्तें कार्यालयीन अवधी में नगर पालिक निगम रायगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में अवलोकन अथवा निगम के वेब साईट <http://nagarnigamraigarh.com> से डाउनलोड की जा सकती है।

31.7.21

आयुक्त

नगर पालिक निगम

रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़ दिनांक 31.07.2021.

पृ.क्र. 1077 / स्वा.वि / न.पा.नि. / 2021,

प्रतिलिपि :-

1. मानो महापौर / सभापति / नेता प्रतिपक्ष / भारसाधक सदस्य (MIC) स्वास्थ्य एवं अस्पताल विभाग, नगर पालिक निगम रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ।
3. जन संपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम रायगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्ताव प्रादेशिक स्तर के दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराये जाने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. कार्यालय अधीक्षक / लेखापाल, नगर पालिक निगम रायगढ़ को सूचनार्थ।
5. संपादक दैनिक समाचार पत्र को उपरोक्तानुसार समाचार पत्र में प्रकाशित कर भुगतान हेतु देयक के साथ समाचार पत्र की 02 प्रति के साथ प्रस्तुत करने हेतु सूचनार्थ।
6. कार्यालय नोटिस बोर्ड में चर्चा हेतु।

31

आयुक्त

नगर पालिक निगम

रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़, (छ.ग.)

(आवारा स्वानों के बध्याकरण हेतु नियम एवं शर्त)

1. प्रस्तावकर्ता संस्था को अपने वैध पंजीयन पूर्व में किये गये कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संबंधी अमिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके भ्रमाव में प्रस्ताव दरें नहीं खोली जावेगी।
2. आवारा कुत्तों के बध्याकरण एवं टीकाकरण कार्य हेतु सम्पूर्ण कार्य योजना एवं आवश्यक स्थान, की व्यवस्था के संबंध में विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. कुत्तों को पकड़ने के लिए प्रशिक्षित उम्मी एवं आवश्यक उपकरण फंदे, जाली आदि की व्यवस्था संस्था द्वारा करनी होगी। नगर निगम केवल एक वाहन चालक सहित उपलब्ध करावेगी।
4. संस्था द्वारा पकड़े गये कुत्तों के आपरेशन (बध्याकरण) एवं टीकाकरण के कार्य में लगने वाले सभी प्रकार के सजीकल उपकरण, फर्नीचर डैवाईयां, वेक्सीन एवं कुत्तों के समुचित भोजन की व्यवस्था करनी होगी।
5. पकड़े गये कुत्तों के बध्याकरण का कार्य प्रशिक्षित पशु चिकित्सकों के द्वारा कराया जावेगा तथा बध्याकरण के पूर्व एवं पश्चात (प्री एंड पोस्ट आपरेटिव) की सभी सावधानियां एवं संक्रमण की रोकथाम के सभी उपाए संस्था द्वारा करना होगा तथा आपरेशन के पश्चात कुत्तों को न्यूनतम 5 दिन तक पोस्ट आपरेटिव केरार हेतु रखा जावेगा।
6. आपरेशन के जिन स्थानों/मोहल्लों से कुत्ते पकड़े जावेगे आपरेशन के पश्चात कुत्तों को उन्हीं स्थान/मोहल्लों में वास छोड़ना होगा तथा इस आशय का पंचनामा वार्ड के पार्षद/नागरिकों से प्राप्त करना होगा।
7. बध्याकरण किये गये कुत्ते के कान पर अंग्रेजी के ही के आकार के अमिट चिन्ह से स्थायी रूप से चिन्हाकृत करना होगा। ताकि यह पना चल सके कि इस कुत्ते का बध्याकरण किया जा चुका है तथा इस संस्था द्वारा प्रतिमाह कम से कम 1000 कुत्तों का बध्याकरण एवं टीकाकरण का कार्य पूर्ण करना होगा।
8. संस्था को नगर पालिक निगम रायगढ़ के जो कर्मचारी कुत्ते पकड़ने के कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें निःशुल्क रूप से प्रशिक्षित करना होगा।
9. कुत्तों को पकड़ने एवं बध्याकरण कार्य के दौरान संस्था के कर्मियों के साथ किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना के लिए सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था का होगा। नगर निगम इस संबंध में किसी व्यय अथवा उत्तरदायित्व का वहन नहीं करेगी।
10. कुत्तों के बध्याकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही (करप्ट प्रेविट्स) क्षम्य नहीं होगी, तथा शत्य क्रिया से संबंधित सभी आवश्यक सावधानियां का पालन करना अनिवार्य होगा। लापरवाही पाये जाने पर भुगतान नहीं किया जावेगा।
11. कुत्तों के बध्याकरण एवं टीकाकरण कार्य के निरीक्षण हेतु नगर निगम द्वारा गठित टीम के निम्न सदस्य होंगे।
 1. सहायक स्वास्थ्य अधिकारी
 2. स्वच्छता निरीक्षक
 3. शासकीय पशु चिकित्सक
12. संस्था द्वारा प्रत्येक नाह की समाप्ति के पश्चात किये गये कार्य का देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा। देयक का सत्यापन स्वास्थ्य अधिकारी के हारा किये जाने के पश्चात देयक के भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
13. संस्था को छ.ग. शासन के श्रम नियम का पालन करना होगा।
14. नागरिकों से प्राप्त होने वाली शिकायतों के निराकरण श्रम विभाग एवं विभागीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन प्राथमिकता के आधार पर किया जाना अनिवार्य होगा।
15. किसी भी विवाद में महापौर परिषद नगर पालिक निगम रायगढ़ का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

३१.१.२
आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)